पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 171/2023**

**अनवान :**

राकेश पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:-

**वादी**

बनाम

1. मांगेराम पुत्र तनु जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. विनोदकुमार पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

**:- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 280/237 के खसरा सं0 30 की 3.075है0, ख0सं0 30/1 की 2.516 है0 कुल खसरा 2 की 5.591है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम दर्ज 1631/5591 हिस्सा तथा ईशर पुत्र किशना के नाम दर्ज 1632/5591 हिस्सा में ईशर पुत्र किशना का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम अकेले की बजाय वादी राकेश व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम व प्रतिवादी सं0 2 विनोदकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner